GRAM : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

	OFF.	RESI.
V.C. :	2570450	2570263
REGI. :	2570301	2570882
F.O. :	2572328	2500081

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर–24
KALYANPUR, KANPUR-24

Ref. No.: CSJMU/SC/STCELL/ 455 /2014

Dated 30 /06 /2015

आवश्यक / समयबद्ध

सेवा में,

निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी
यू. आई. ई. टी
वि० वि० कानपुर

विषयः शैक्षिक सत्र 2015–2016 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक रूप से गरीब अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछडा वर्ग / अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के पिता / माता एवं विधिक अभिभावकों की वार्षिक आय रूपया **दो लाख** तक है, का शैक्षिक स्तर सुदृढ करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षिक सत्र 2015–16 में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रकिया हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत है–

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में पारदर्शिता तथा पात्र अभ्यर्थियों को सरलतापूर्वक एवं त्वरित गति से लाभ प्राप्त हो सके। नवीनीकरण करने हेतु अभ्यर्थियों के लिये समयावधि दिनॉक 01.07.2015 से 31.07.2015 तक तथा नये विद्यार्थियों के आवेदन हेतु समयावधि दिनॉक 01.07.2015 से 30.09.2015 तक, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेगें । विद्यार्थियो द्वारा ऑनलाइन किये गये आवेदन के साथ समस्त अनुलग्नको के साथ 07 दिवसों के अन्दर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ में स्वीकार किये जायेगें । उक्त तिथियों के पश्चात छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें ।
2. छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति सुगम संचालन हेतु अभ्यर्थियों / विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यार्थियों के बैंक खाता विश्वविद्यालय परिसर में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया एवं बैंक ऑफ बडौदा में ही खोले जायें, जिनका आई0एफ0एस0सी0 कोड– **यू0बी0आई0कोड–UBIN0534951, बी0ओ0बी0कोड–BARBOCSUKAN है ।**
3. अभ्यर्थियों द्वारा वेबसाइट **http://scholarship.up.nic.in** पर ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना अनिवार्य है अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा ।
4. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय इस बात की पूरी सावधानी बरती जाय कि कोई त्रुटि न होने पाये । **अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।**
5. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन प्रेषित (submit) करने से पूर्व आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट प्राप्त कर उसकी सभी प्रविष्टियों का मिलान करके सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही आवदेन पत्र submit करें ।
6. ऑन लाईन आवेदन करने पर अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वतः सृजित होगा जिसके आधार पर अभ्यर्थी अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र भरेगा एवं भविष्य में अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकता है ।
7. अभ्यर्थी को ऑनलाईन submited आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ निम्नॉकित अभिलेखों सहित आवेदन पत्र submit करने के पश्चात 07 दिनों के अन्दर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ में जमा करना होगा ।
   (क) ऑनलाईन किया गया आवेदन पत्र फोटो एवं हस्ताक्षर सहित निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी द्वारा इस आशय से अग्रसारित किया जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित ऑनलाईन आवेदन पत्र त्रुटिरहित है तथा छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र है ।
   (ख) आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं इन्टरनेट की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित ।
   (ग) जाति, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं इन्टरनेट की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित ।
   (घ) पिछले शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियॉ ।
   (च) यदि दो कक्षाओं के बीच समय अन्तराल हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित ।

(छ) विश्वविद्यालय परिसर में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया एवं बैंक ऑफ बड़ौदा में खोले गये खाता के पास बुक की छाया प्रति जिससे नाम एवं खाता संख्या प्रमाणित की जा सके ।

(ज) समस्त जमा शुल्क रसीद की छायाप्रति

(झ) अभ्यर्थी के माता–पिता एवं विधिक अभिभावक द्वारा **10=00 रूपये के नान जूडिशियल स्टॉप पेपर** पर शपथ पत्र (शपथ पत्र का संलग्न नमूने के अनुरूप होना अनिवार्य है।)

(ञ) यू0पी0टी0 द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थी को अपने कालेज अवंटित सम्बन्धी अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है ।

8. ऑनलाईन आवेदन के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात वेबसाईट लाक कर दी जायेगी तथा उसके बाद कोई भी आवेदन किया जाना सम्भव नही होगा ।
9. अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उनके आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में जनपदीय कोषागार e-payment प्रकिया के तहत NEFT/RTGS से सीधे प्रेषित की जायेगी, जिससे पात्र विद्यार्थियों को सुगमता एवं शीघ्रता से धनराशि प्राप्त हो जायेगी ।
10. अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्तर पर आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0द्वारा सूचित किये जाने की व्यवस्था है ।
    (1) ऑनलाईन आवेदन submit करने पर ।
    (2) शैक्षिक संस्थान द्वारा अभ्यर्थी का विवरण सत्यापित करने पर ।
    (3) जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा स्वीकृत करने पर ।
    (4) अभ्यर्थी के बैंक खाते में धनराशि प्रेषित करने पर ।
11. शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि का सन्निकट आने का इन्तजार न किया जाय, निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संस्थान का होगा कि कोई पात्र छात्र/छात्रा ऑनलाईन आवेदन करने से छूटने न पाये ।
12. योजना की सम्पूर्ण जानकारी सभी आदेश–निर्देश वेबसाइट **http://scholarship.up.nic.in** पर उपलब्ध है ।
13. छात्र/छात्रा को ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पडने पर विद्यार्थी के सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।
14. आवेदन पत्र के साथ रसीद का प्रारूप भी प्रिन्टेड छपकर प्राप्त होगा । उसी प्राप्ति रसीद पर छत्रवृत्ति प्रकोष्ठ में समस्त अनुलग्नकों के साथ जमा किया जायेगा । आवेदन पत्र के साथ जितने अभिलेखों की छायाप्रति आवेदक ने प्रस्तुत की है, उस पर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ द्वारा सही का निशान किया जायेगा तथा हस्ताक्षर कर आवेदक को रसीद फाडकर दे देगा ।
15. शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि ऑनलाईन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति में पारदर्शिता एवं सुगम संचालन हेतु विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के निदेशक/ विभागाध्यक्ष / प्रभारियों को निर्देशित किया जाये कि अपने विभाग के सूचना पट एवं अधिकृत स्थानों पर चस्पा करें ।
16. आवेदित विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आर्नलाइन त्रुटिविहीन आवेदन करें । आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि–मेरे द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन किया गया आवेदन पत्र सही भरा गया है **यदि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि निकलती है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी ।** (प्रारूप संलग्न है।)

प्रायः पाया गया है कि छात्र/छात्रायें सम्पूर्ण शुल्क भी जमा नही करते है और शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र भी नही भरते है, ऐसी स्थिति में शुल्क सम्बन्धी समस्त जिम्मेदारी निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी की होगी ।

भवदीय

संलग्नक –यथोपरि ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी को अवलोकनार्थ ।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
3. अन्य पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
4. जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
5. सिस्टम मैनेजर को इस आश से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें ।
6. वैयक्तिक सहायक वित अधिकारी ।
7. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव ।
8. आदेश पत्रावली ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव